अध्ययन सामग्री दिनांक - 23.04.2020

स्नातक भाग - 1 (प्रतिष्ठा)

पत्र - प्रथम

किरातार्जुनीयम् - प्रथम सर्ग

डॉ० सावित्री सिंह,
ए० प्रोफेसर, संस्कृत
रो० म० का० सासाराम

Scanned by CamScanner

महाकवि भारवि कृत 'किरातार्जुनीयम्' के अनुसार "दूत की विशेषता" —

सन्दर्भ : जुए में दूसरी बार पराजित होकर शर्त के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रोपदी के साथ द्वैतवन में निवास करने लगे। वहाँ निवास करते हुए, उन्होंने एक चतुर वनवासी किरात को दुर्योधन की प्रजा के प्रति नीति को जानने के लिए गुप्तचर नियुक्त कर भेजा। ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर दुर्योधन के राज्य का सभी वृत्तान्त जानकर युधिष्ठिर के पास लौटकर आया। महाकवि भारवि ने इस ब्रह्मचारी वेशधारी किरात के द्वारा ही दूत की विशेषताओं का वर्णन कर दिया है।

कृतप्रणामस्य महीं महीभुजे
जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः।
न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं
प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः ॥ 2॥

इस पद्य के माध्यम से महाकवि ने बताया है कि युधिष्ठिर से दुर्योधन द्वारा जीत ली गई पृथ्वी अथवा राजसत्ता का समाचार

Scanned by CamScanner

बताने वाले उस वनेचर का मन दुःखी नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले झूठी प्रिय बात नहीं कहते। दूत का दायित्व है कि वह नियुक्ता अथवा स्वामी को 'अच्छा लगने' अथवा 'अच्छा ना लगने' की बात को ध्यान में ना रखे और सच को ज्यों का त्यों स्वामी के सामने रखे। क्योंकि " हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः

भारवि के अनुसार 'दूत' को उचित स्थान देख कर शब्द सौष्ठव तथा अर्थगाम्भीर्य से युक्त स्पष्ट अर्थ वाला वचन बोलना चाहिए।

द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो
रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः।
स सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीं
विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे ॥३॥

इतना ही नहीं दूत के मुखारविन्द से भारवि बार-बार दुहराते हैं कि हितकारी और साथ-साथ मनोहर वचन दुर्लभ होता है। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त दूत युधिष्ठिर से क्षमा की अपेक्षा करता हुआ कहता है कि :

क्रियासु युक्तैर्नृप चारचक्षुषो
न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः।
अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा
हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः ॥४॥

Scanned by CamScanner

दूत के कार्यों में नियुक्त सेवकों को चाहिए कि वे स्वामियों को जिनके नेत्र दूत ही है; धोखा न दें। अर्थात् राजा अथवा स्वामी अपने दूतों के माध्यम से ही देखता है। इस कारण दूत की रिपोर्टिंग मन के अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल। प्रिय हो या अप्रिय राजा/स्वामी को उसे माफ कर देना चाहिए। क्योंकि हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं।

इसके साथ ही साथ महाकवि भारवि दूत के माध्यम से निकृष्ट मित्र/निकृष्ट दूत और निकृष्ट स्वामी की विशेषता को भी स्पष्ट करते है :—

स किंसखा साधु न शास्ति योऽधिपं
हितान्न यः संशृणुते स किंप्रभुः।
सदाऽनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं
नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः ॥ 5 ॥

मन्त्रिणा मित्रेण सेवकेन वा सन्मार्गगमनाय समये राजानः बोधनीयाः राज्यहितार्थम्। तथा यदि न कुर्वन्ति ते च तत्पदभाजः न भवन्ति, अपितु कुत्सिता एव भवन्ति। राज्ञाऽपि मन्त्रीत्यादीनां हितैषिणां वचनं श्रोतव्यं सन्निर्णयार्थम्। नो चेत् सः कुत्सितो राजा भवति।

जो स्वामी को उचित हितकारी उपदेश नहीं देता है; वह निकृष्ट मित्र अथवा दूत होता है। जो हित चाहनेवाले (मित्र/दूत) की बात को ध्यान

Scanned by CamScanner

देकर नहीं सुनता है वह निकृष्ट स्वामी होता है। क्योंकि राजाओं और मन्त्रियों के अनुकूल रहने पर सभी सम्पत्तियाँ सदैव अनुराग करती हैं। अर्थात् उस राज्य अथवा व्यक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है।

दूत को विनम्र और निष्ठावान होना चाहिए।

निसर्गदुर्बोधमबोधविक्लवाः
क्व भूपतीनाँ चरितं क्व जन्तवः।
तवानुभावोऽयमवेदि यन्मया
निगूढतत्त्वं नयवर्त्म विद्विषाम् ॥ 6 ॥

युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त दूत दुर्योधन की प्रजा नीति का वर्णन करने जा रहा है। भूमिका बनाते हुए और अपनी विनम्रता एवं निष्ठा का परिचय देता हुआ कहता है कि "स्वभाव से ही दुर्बोध राजाओं का व्यवहार/चरित्र कहाँ? और मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति कहाँ? किन्तु मैंने शत्रुओं के अत्यन्त गुप्त स्वरूप वाले राजनीति के मार्ग का जो ज्ञान प्राप्त किया वह आपका ही प्रभाव है।

इस प्रकार भारवि का दूत सत्य बोलने वाला, उचित स्थान पाकर एकान्त में शब्द सौष्ठव तथा अर्थगाम्भीर्य से युक्त स्पष्ट अर्थ वाले वचन बोलने वाला, राजा का हित चाहने वाला होना चाहिए।

द्वारा: डॉ॰ सावित्री सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
संस्कृत विभाग
रा॰ म॰ का॰ सासाराम

Scanned by CamScanner